न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 6/2018 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. शान्तु पिता धन्ना पटेल, जाति भील, निवासी गांव माचा, प.ह. ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. अनिल पिता हरदार पटेल, जाति भील, निवासी गांव माचा, प.ह. ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भरत पिता हरदार पटेल, जाति भील, निवासी गांव माचा, प.ह. ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. वागजी पिता धन्ना पटेल, जाति भील, निवासी गांव माचा, प.ह. ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. तेजा पिता जोखा, जाति भील, निवासी गांव माचा हाल अगोरिया, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. कैलाश पिता धन्ना, जाति भील, निवासी गांव माचा, प.ह. ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़
दिनांक 26.12.2017, प्र.सं. 07/2016

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री समर पण्डया अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री राजीव जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 24–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध

एक वाद अन्तर्गत धारा 92–ए, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माचा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 117, 141, 143, 144 व 243/142 कुल किता 5 रकबा 5.83 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके पूर्व दिशा में वन भूमि स्थित है तथा मुख्य सड़क एवं वादी के बीच की भूमि जो वन विभाग की है, उस पर वादी का 1980 से पूर्व से कब्जा होने से दिनांक 31–12–2009 को वनाधिकार का पट्टा दिया गया, किन्तु प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा करे पर उतारू हैं तथा जबरन मकान बना लिये हैं, जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त आराजियात से प्रतिवादीगण का कब्जा एवं मकान हटाये जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अपने निर्णय दिनांक 26–12–2017 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री राजीव जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 4 अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को पैरवी करने का अवसर नहीं दिया है तथा उपलब्ध दस्तावेजों का सही विश्लेषण नहीं किया है तथा अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित किया है। वन विभाग की आराजी नंबर 260/156 पर अपीलान्टगण का अपने बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा मकान 10 वर्ष पूर्व से बने हुए हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि विवादित आराजियात का वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार है तथा वन विभाग की रिपोर्ट अनुसार आराजी नंबर 260/156 रकबा 0.96 हैक्टर भूमि का वनाधिकार पट्टा वादी/रेस्पोन्डेन्ट को दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 24–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

शान्ति पिता धन्ना पटेल, जाति भील, नि. गांव माचा, प.ह. ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **तेजा पिता जोखा, जाति भील, नि0 गांव माचा, हाल अगोरया, तहसील सज्जनगढ़ व अन्य**

अपील नं.....**06 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सज्जनगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....26**.....माह.....**12**.....**17**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री समर पण्डया**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजीव जोशी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–2017 यथावत रखी जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 13:41:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: